

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 5346/2025

विनायक प्रसाद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मदन जी पांडेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (अपर शासकीय अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

- वर्तमान रिट याचिका चकबंदी अधिकारी, सदर, बलिया के समक्ष लंबित आपत्ति के शीघ्र निस्तारण के लिए दायर की गई है।
- अभिलेख का अवलोकन करने से पता चलता है कि इस माननीय न्यायालय ने रिट बी संख्या 3844/2024 (संलग्नक-4) में पारित आदेश दिनांक 11.11.2024 द्वारा चकबंदी अधिकारी को एक महीने के भीतर आपत्ति तय करने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया है।
- समान वाद कारण के लिए दूसरी रिट याचिका पोषणीय नहीं है।
- याचिकाकर्ता के पास इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2024 की जानबूझकर की गई अवज्ञा के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना आवेदन दायर करने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।
- उपरोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

प्रियंका